महत्वपूर्ण एवं खास

कोल वाशरी में लगी भयंकर आग

रायगढ़-रायपुर (आरएनएस)। खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डुमरपाली स्थित भाटिया कोल वाशरी में सुबह नौ बजे के करीब अचानक आग लग गई. सूचना मिलते ही कई दमकल गाडिय़ां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई. आगजनी की वजह से से लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई गई है.

ड्रग्स तस्करी मामले में बंद अफ्रीकी मूल के बंदी पेट्रिक ने की आत्महत्या

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर केंद्रीय जेल में कैद अफ्रीकी मूल के बंदी ने आत्महत्या कर ली है. कैदी पेट्रिक 2021 से ड्रस केस में जेल में बंद था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गंज थाना पुलिस मृत कैदी का पंचनामा कर रही है। बता दें कि 2021 में ड्रग्स तस्करी करने वाले पेट्रिक यूबीके बायको को पुलिस ने मुंबई के नाला सुपोरा के मकान में छापा मारकर गिरफ्तार किया था. पेट्रिक ने रायपुर में ड्रग्स तस्करी की चेन तैयार की थी. वह अपने गिरफ्तार हुए दोस्त मुंबई के ट्रांसपोर्टर रायडेन बेथेला की मदद से राजधानी में ड्रग्स सप्लाई करता था.

कार्य में लापरवाही : 27 चिकत्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त

रायपुर (आरएनएस)। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही 21 चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए है। विदित हो कि चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने कर्तव्यस्थल से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हुए शासन के मूलभूत नियम और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम का उल्लंघन किया गया था। अनुपस्थित अधिकारियों व चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करके अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया था। सुनवाई में उपस्थित चिकित्सा अधिकारियों/ विशेषज्ञ चिकित्सकों के पक्ष को सुना गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए चिकित्सा अधिकारियो व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं।

नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2024-25

सहायक नोडल अधिकारी के जारी आदेश में हुआ आंशिक संशोधन

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2024-25 के तैयारी एवं व्यवस्थित संचालन हेतु सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। जारी संशोधित आदेश के तहत सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायगढ़ के सहायक लेखाधिकारी ममता सारथी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रेक्षक के.डी.कुंजाम से मुलाकात कर सकते है सर्किट हाऊस में प्रात: 10 से 11 बजे तक

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पालिका परिषद खरसिया एवं नगर पंचायत पुसौर, घरघोड़ा, लैलूंगा, धरमजयगढ़ एवं किरोड़ीमल नगर के आम निर्वाचन 2024-25 के लिए के.डी.कुंजाम (आईएएस 2009)को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। राजनीतिक दल, मीडिया प्रतिनिधि एवं आम जनता प्रेक्षक के.डी. कुंजाम से न्यू सर्किट हाऊस रायगढ़ में प्रात: 10 से 11 बजे तक मिल सकते है एवं मोबाइल नंबर 92389-24703 में संपर्क कर सकते है।

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2024-25

रायगढ़ नगर निगम : महापौर के लिए 9 एवं पार्षद पद के लिए 177 अभ्यर्थियों ने जमा किया नामांकन

❑ 29 जनवरी को संवीक्षा तथा 31 जनवरी नाम वापस लेने की अंतिम तारीख

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में नगरीय निकायों के लिए जा रहे नाम निर्देशन प्रक्रिया के तहत आज 28 जनवरी अंतिम दिवस तक महापौर पद के लिए कुल 9 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। जिनमें बहुजन समाज पार्टी-बनवारी लाल डहरे, इंडियन नेशनल कांग्रेस-जानकी बाई काटजू, निर्दलीय-जेठूराम मनहर, भारतीय जनता पार्टी-जीवर्धन चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस-कान्ती चौहान, निर्दलीय-लीलाधर खुंटे, इंडियन नेशनल कांग्रेस-मुरारी लाल भट्ट, आम आदमी पार्टी-रूसेन कुमार मिरी एवं निर्दलीय-सिरिल कुमार धृतलहरे शामिल है।

इसी तरह नगर निगम रायगढ़ अंतर्गत पार्षद पद के लिए कुल 177 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। जिसमें वार्ड क्रमांक 1 से 12 तक में कुल 43 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 13 से 24 तक में 38 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 25 से 26 तक में 53 अभ्यर्थी तथा वार्ड क्रमांक 37 से 48 तक में 43 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कुल 48 वार्डों के लिए 221 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदे थे।

31 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी दें सकेंगे नाम वापस

नगरीय निकाय हेतु 01 महापौर एवं 141 पार्षद पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया होनी है। जिसके लिए 28 जनवरी 2025 तक नाम निर्देशन लिया गया। इसी प्रकार 29 जनवरी को संवीक्षा तथा 31 जनवरी को अभ्यर्थी नाम वापसी एवं प्रतीक चिन्ह आवंटन प्रक्रिया की जाएगी। इसके पश्चात 11 फरवरी को मतदान तथा 15 फरवरी 2025 को मतगणना एवं परिणामों की घोषणा की जाएगी।

प्रेक्षक के.डी.कुंजाम पहुंचे रायगढ़ : कलेक्टोरेट पहुंचकर नाम निर्देशन कार्य का लिया जायजा

रायगढ़। जिले के नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के.डी.कुंजाम (आईएएस) आज जिला मुख्यालय रायगढ़ पहुंचे।

सामान्य प्रेक्षक के.डी.कुंजाम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नाम निर्देशन प्रक्रिया के अंतिम दिवस कलेक्टोरेट पहुंचकर नाम निर्देशन के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने रायगढ़ नगरीय निकाय अंतर्गत विभिन्न कक्ष में महापौर एवं पार्षद पद हेतु लिए जा रहे नाम निर्देशन कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी भी ली। अभ्यर्थियों ने बताया कि यहां किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को नाम निर्देशन कार्य को सावधानी पूर्वक करने के निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी निर्वाचन समीर बड़ा भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के आदेशानुसार नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के आम निर्वाचन 2024-25 के लिए प्रेक्षण कार्य हेतु रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत के लिए सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के.डी.कुंजाम (आईएएस 2009) को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

लोहे के हथियार से धमकाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों पर जूटमिल पुलिस ने की आर्म्स एक्ट की कार्यवाई

रायगढ़

दिनांक 27 जनवरी 2025 की शाम को जूटमिल के चमड़ा गोदाम क्षेत्र में महिला समूह की सदस्याओं ने थाना जूटमिल के प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज को सूचना दी कि मोहल्ले के निवासी मोहन सोनवानी और बाबू विशाल अवैध शराब बेचने का काम करते हैं। महिलाओं ने उन्हें इस गतिविधि से रोकने की कोशिश की, तो दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया और विवाद बढ़ गया।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीआई मोहन भारद्वाज अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर आरोपियों को महिला समूह की सदस्यों के साथ विवाद करते हुए पाया गया। आरोपियों ने हाथ में लोहे के धारदार हथियार लेकर महिलाओं को डराने-धमकाने का प्रयास किया।

पुलिस ने तुरंत मोहन सोनवानी (उम्र 47 वर्ष) और बाबू विशाल (उम्र 35 वर्ष) को हिरासत में लिया। दोनों के कब्जे से एक-एक लोहे का धारदार हथियार जब्त किया गया। आरोपियों को थाना जूटमिल लाकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस कार्रवाई में निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक विरेन्द्र भगत, रामनाथ बनर्जी, आरक्षक तरुण महिलाने और धनेश्वर उरांव की प्रमुख भूमिका रही। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रहवासियों को इलाके में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्ती बरतने का आश्वासन दिया गया है।

मां की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार

कांकेर (आरएनएस)। जिले की नरहरपुर थाना क्षेत्र के आंखीहर्रा उपरपारा में मां के साथ हुए विवाद के बाद उसकी डंडे से मारकर हत्या कर देने वाले पुत्र को पुलिस ने चंद घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामले का संक्षिप्त विवरण मामले की रिपोर्ट पर थाना नरहरपुर में अपराध आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बी0एन0एस0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्काल टीम गठित कर आरोपी पता सघन तालाष प्रारम्भ किया गया। टीम के द्वारा आरोपी सावन कुमार नेताम पिता सुमन राम नेताम साकिन आंखीहर्रा, थाना नरहरपुर जिला कांकेर को पता तालाष कर हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर अपराध करना कबूल किया तथा आरोपी ने अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि अपनी माता ज्ञाना बाई को घर अंदर रखे डंडा से मारपीट कर हत्या करना स्वीकार किया।

ग्रामीणों को लोन का लालच देकर ठगी, फर्जी बैंककर्मी गिरफ्तार

रायगढ़

चक्रधरनगर पुलिस ने ग्रामीणों को लोन दिलाने के बहाने ठगी करने वाले 60 वर्षीय मोहित चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी, मोहित चौहान भजनडिपा मिट्ठूमुड़ा जूटमिल का निवासी है, आरोपी ने ग्राम लोईंग की महिला पुनीया भगत और अन्य दो ग्रामीणों को एसबीआई बैंक का कर्मचारी बनकर झांसे में लिया था।

आज पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पिछले साल जुलाई-अगस्त में मोहित चौहान पीड़ितों के गांव लोईंग आया और खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए 8 लाख रुपये का लोन आसानी से दिलाने का वादा किया। आरोपी ने ग्रामीणों से फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए और लोन प्रोसेसिंग के नाम पर पहले बैंक में 10% रूपए जमा करने होंगे कहकर प्रत्येक से 80,000 रुपये की मांग की। पुनीया भगत और दो अन्य महिलाओं ने उसकी बातों में आकर 80-80 हजार रुपये उसे दे दिए।

लोन पास होने का इंतजार करते हुए महीनों बीत गए, लेकिन जब किसी के खाते में राशि नहीं आई, तो पीड़ित बैंक पहुंचे। वहां पता चला कि मोहित चौहान बैंक का कर्मचारी नहीं है। ठगी की पुष्टि होने के बाद जब मोहित से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उसने बातचीत बंद कर दी और फरार हो गया।

चक्रधरनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पर अप.क्र. 51/2025 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है और तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है।

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2024-25 : अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका/नगर पंचायत में 22 अभ्यर्थियों ने जमा किया नामांकन

❑ पार्षद पद के लिए नगर निगम रायगढ़ में 177 तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत में 251 अभ्यर्थियों ने जमा किया नामांकन

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में नगरीय निकायों के लिए जा रहे नाम निर्देशन प्रक्रिया के तहत आज 28 जनवरी अंतिम दिवस तक नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 22 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नगर निगम रायगढ़ अंतर्गत पार्षद पद के लिए कुल 177 तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में पार्षद हेतु 251 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है।

नगर पालिका परिषद खरसिया में अध्यक्ष पद के लिए 5 अभ्यर्थी, नगर पंचायत पुसौर में 04, नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर में 3, नगर पंचायत धरमजयगढ़ में 5, नगर पंचायत घरघोड़ा में 3 एवं नगर पंचायत लैलूंगा में 2 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 32 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदे थे।

नगर निगम रायगढ़ पार्षद पद हेतु 177 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन दाखिल- रायगढ़ नगर निगम अंतर्गत कुल 48 वार्डों के लिए पार्षद पद हेतु 177 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। जिनमें वार्ड क्रमांक 1 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 2 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 3 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 4 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 5 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 6 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 7 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 8 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 9 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 10 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 11 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 12 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 13 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 14 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 15 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 16 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 17 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 18 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 19 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 20 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 21 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 22 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 23 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 24 में 08 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 25 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 26 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 27 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 28 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 29 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 30 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 31 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 32 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 33 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 34 में 04 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 35 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 36 में 08 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 37 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 38 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 39 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 40 में 07 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 41 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 42 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 43 में 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 44 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 45 में 02 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 46 में 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्रमांक 47 में 06 अभ्यर्थी एवं वार्ड क्रमांक 48 में 02 अभ्यर्थी शामिल है। वहीं कुल 48 वार्डों के लिए 221 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदे थे।

नगर पालिका एवं नगर पंचायत में पार्षद पद हेतु 251 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन दाखिल- नगर पालिका परिषद खरसिया में पार्षद पद के लिए 59 अभ्यर्थी, नगर पंचायत पुसौर में 37, नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर में 30, नगर पंचायत धरमजयगढ़ में 39, नगर पंचायत घरघोड़ा में 45 एवं नगर पंचायत लैलूंगा में 41 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत अंतर्गत 316 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदे थे।

नकाबपोश ने कार को बम से उड़ाया, मचा हड़कंप

दुर्ग-रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोहका से कुरुद जाने वाली मुख्य सडक़ पर इंदु आईटी स्कूल के पास एक कार को बम से उड़ा दिया गया। कार में हुए विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। इस धमाके में किसी के घायल की सूचना नहीं है। फिलहाल, पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना प्रकाश महोबिया के ऑफिस के पास की बताई जा रही है। बम धमाके के सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक चेहरा ढककर कार के पास आया। इसके बाद उसने कार में बम लगा दिया और फिर टाइमर सेट करके उसे उड़ा दिया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में तेज आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। यह गाड़ी प्रकाश महोबिया के भांजे, संजय बुंदेला की बताई जा रही है। कार में हुए विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फिलहाल, पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि यह घटना किसी प्रकार की साजिश का हिस्सा हो सकती है, लेकिन पुलिस इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कह रही है। विस्फोट में किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन गाड़ी की स्थिति देखकर यह कहा जा सकता है कि धमाका बेहद शक्तिशाली था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं।

ओबीसी आरक्षक मामले में हाईकोर्ट ने जिपं उपाध्यक्ष की याचिका खारिज की

बिलासपुर-रायपुर । आरएनएस

ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने सूरजपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी है. छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर डिवीजन बेंच में लंबी कानूनी बहस हुई. दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विधि संगत निर्णय लेते हुए मेरिट बेस पर याचिका को खारिज किया. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शक्तिराज सिन्हा ने रा'य शासन द्वारा ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (0&) को विलोपित किए जाने और बीते वर्ष & दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024 को लेकर अपना पक्ष रखा.

रा'य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने शासन का पक्ष रखते हुए इस मामले में नए अध्यादेश 2& जनवरी 2025 को जारी होने की बात कही. इसे सरकार की ओर से बजट सत्र में विधानसभा पटल में रखने की जानकारी दी. वहीं कोर्ट में संवैधानिक रूप से इस अध्यादेश को पारित होने को लेकर अनु'छेद 21&(2) के तहत रा'यपाल से सहमति पारित होने और विधानसभा के समक्ष पुन: समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले निरनुमोदन का प्रस्ताव पारित करने को लेकर पक्ष रखा.

इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा ने अपनी याचिका में कही बातों को दोहरा और आरक्षण संबंधी संशोधन के नियमों को लेकर पूर्व अध्यादेश पर अपनी बात रखी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को लेकर दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया. इस पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अपनी दलील रखी. वहीं कोर्ट ने इस मामले में उन निर्णयों के संदर्भ से संबंध नहीं देखते हुए विधि संगत निर्णय लिया।

गृह मंत्रालय के आदेश पर बैंक के खातों के लिए दर्ज हुई एफआईआर पुलिस ने 15 लोगों को लिया हिरासत में

दुर्ग-रायपुर । आरएनएस

दुर्ग पुलिस ने कर्नाटक बैंक के 15 खाताधारकों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया है तो वही 20 खाता उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है और सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. वी/ओ-1 दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्रालय के आदेश पर दुर्ग पुलिस ने कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड शाखा के 111 बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया था खाताधारकों के एकाउंट में देश के अलग-अलग राज्यों में सैकड़ों लोगों से हुए अलग- अलग साइबर फ्रॉड के करीब लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे आपको बता दे कि दुर्ग के कर्नाटका बैंक में करोड़ो के ट्रांजेक्शन को लेकर गृह मंत्रालय की मॉनिटरिंग टीम समन्वय पोर्टल के जरिए मामला दर्ज करने का आदेश हुआ था तो वही भारत सरकार गृह मंत्रालय के समन्वय जांच पोर्टल में दुर्ग जिले के कर्नाटक बैंक में संदिग्ध लेनदेन सामने आया जिसके बाद जांच करने पर पता चला कि इन बैंक खातों में लगातार क्षमता से अधिक लेन देन करते हुए करोड़ो का ट्रांजेक्शन हुआ था जिसके बाद देशभर के अलग-अलग हिस्सों में हुए साइबर ठगी के प्रकरण में 2 करोड़ 85 लाख 33 हजार 247 रुपए कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड स्थित शाखा के 111 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए ये पूरा लेंन देन 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक हुआ है जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने फ्रॉड करने वाले सभी खाता धारकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कई लोगों ने अपने बैंक खाता बेच दिए हैं तो वही उनके द्वारा बेचे गए बैंक खातों के एवज में उन्हें महीने का 10 हजार के लगभग किराया दिया जाता था तो वही सभी खाताधारको ने इसे स्वीकार भी कर लिया है कि उन्होंने अपने खाते किराए पर दिए थे तो वही खाते का उपयोग करने वाले आरोपियों ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि इन खातों का उपयोग ठगी के साथ-साथ ऑनलाइन बैटिंग के लिए भी किया करते थे फिलहाल पुलिस और लोगो से भी पूछताछ कर रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480